

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 87/2020

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001  
— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. देवेन्द्र शर्मा पुत्र ओमप्रकाश, निवासी-319 K, ग्राम बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू-333504
2. श्रीमती रेणू कुमारी पुत्री नंदलाल, निवासी वार्ड नं0 11, Thonthwal पालोता ( Palota ), जिला झुंझुनू-333502
3. हेमन्त शर्मा पुत्र देवेन्द्र शर्मा, निवासी-319 K, ग्राम बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू-333504
4. श्रीमती पदमावती देवी पत्नि देवेन्द्र शर्मा, निवासी-319 K, ग्राम बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू-333504

**Also At-1**

- श्रीमती पदमावती देवी, प्लाट एट पट्टा नं0 24, बुहाना, जिला झुंझुनू।
5. करतार सिंह पुत्र जगदीश सिंह, निवासी 156, ग्राम बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू-333504  
— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अध्याय 14 सिविल रिट आर्डिनेंस एक्ट 2002

उपस्थित:-

- 1 एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा ( एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 ) -..... प्रार्थी बैंक की ओर से

**आदेश**

दिनांक 22.03.2021

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 ( पूर्व नाम एयू फाईनेन्सर्स ( इण्डिया ) लि0 ) के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन ( बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन ) के पेटे रूपये 7,00,000/-अक्षरे सात लाख की ऋण सुविधा ऋण खाता संख्या L9001060100185062 ( पुराना ऋण खाता संख्या LSKTR02716-170485740 ) दिनांक 07.10.2016 स्वीकृत की गई थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- अचल सम्पत्ति:- प्लाट एट पट्टा नं0 24 बुहाना, जिला झुंझुनू नपती 116 Sq. Yrd अप्रार्थी नं0 4 श्रीमती पदमावती के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है:-

- पूरब में : जमीन बाबूलाल व ग्यारसीलाल नाई  
पश्चिम में : मंदिर भवन ठाकुरजी का  
उत्तर में : रास्ता मंदिर ठाकुरजी से बाजार का जाता



जिला कलक्टर झुंझुनू

दक्षिण में : मकान हरद्वारी पुत्र श्योनारायण व रास्ता  
अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण एवं ब्याज को चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक के  
द्वारा दिनांक 10.02.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति ( एन0पी0ए0 ) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।  
प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 11.06.2020 द्वारा अधारा 13 ( 2 ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि  
6,31,327/- ( अक्षरे छः लाख इकतीस हजार तीन सौ सताईस रूपये मय ब्याज व खर्चा दिनांक 10.02.  
2020 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूत आस्ति को  
अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार ( बैंक ) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पत्ति  
का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त  
एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त गिरवीकृत सम्पत्ति पर आज  
दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा रोक नहीं है। अतः प्रार्थना  
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा के भौतिक कब्जा प्रार्थी  
बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की  
जा सके।

अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।  
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते  
हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ  
दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का  
भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को  
अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा  
प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल  
दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये  
अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को  
व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है  
तथा सिव्योरिटार्डिजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिव्योरिटी  
इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति  
अप्रार्थी सं0 4 श्रीमती पदमावती देवी के मालिकाना हक की प्लॉट एट पट्टा नं0 24 बुहाना, जिला झुंझुनूं  
नपती 116 Sq. Yrd स्थित भूमि व निर्मित आवासीय सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक  
लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की  
प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयू स्मॉल  
फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे।

आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं  
जिला कलक्टर सुनी